न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा **R.A.S.**

अपील संख्या :– 48/2025 दायर तारीख :– 30.05.2025

नवनीत कुमार पुत्र हरलाल, जाति कोली, निवासी प्लाट नम्बर 17,लक्ष्मीबाई नगर, लामाटा अजमेर, तहसील व जिला अजमेर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत रेनवाल पंचायत समिति कि0 रेनवाल,जिला जयपुर।
2. जगदीश नारायण पुत्र गोविन्दराम (फौत)
   - 2/1 प्रमिला देवी पत्नी जगदीश नारायण,
   - 2/2 सुरेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण,
   - 2/3 रमेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण,
   - 2/4 महेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण,
   - 2/5 सुशीला देवी पुत्री जगदीश नारायण,
3. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम, समस्त जाति परवाल, निवासी किशनगढ रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील किशनगढ रेनवाल,जिला जयपुर।

––मुख्य रेस्पोडेन्टस

अपील अ0 धारा 75 भू–राजस्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर राज0 नामान्तकरण /प्रविष्टसंख्या 251 दिनांक 17–09–1967 पंचायत सीमति जोबनेर राज0

निर्णय

दिनांकः– 16/07/25

1. अपीलार्थीगण ने अपील पेश कर निवेदन किया कि जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 17–09–1967 ग्राम किशनगढ़ रेनवाल, इस आशय की प्रस्तुत की गई कि आराजी खसरा नम्बर 1070/2 रकबा 293 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम किशनगढ़ रेनवाल में स्थित थी, तथा उक्त आराजी सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह माजी चौहान जी व हमीर सिंह, जाति राजपूत की खातेदारी में स्थित थे। उक्त भूमि में से 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26–04–1966 को बेची गई थी। जिसके नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 17.09.66 को गलत तरीके से भरा जाकर राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किया जाकर किया गया था अपीलार्थी संख्या 2 व 3 ने आराजी खसरा नम्बर 1070/2 की रजिस्ट्री करवायी थी। अप्रार्थी संख्या 2 ,3 ने सरपंच ग्राम पंचायत रेनवाल से मिली भगत कर ग्राम पंचायत रेनवाल द्वारा नामान्तकरण संख्या 251 में खसरा नम्बर 1070/2 की जगह खसरा नम्बर 1270/2 दर्ज कर गलत तरीके से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है। जब कि रजिस्ट्री अनुसार खसरा नम्बर 1070/2 का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा भू–माफियाओं से मिलकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1270/2 जिसके हाल खसरा नम्बर 1450/1270 रकबा 3.0980 है0 का बेचान किया जा रहा है। तथा प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1434/1270 रकबा 1.3645 है0 में उक्त गलत नामान्तकरण की आड में अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। सरपंच ग्राम पचांयत रेनवाल व पटवारी हल्का रेनवाल के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 17.09.1967 में खसरा नम्बर 1070/2 की जगह खसरा नम्बर 1270/2 दर्ज कर गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 2,3 को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से नामान्तरण तस्दीक कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील के आधारों में सरपंच द्वारा पद का दुरूपयोग करना, खसरा नम्बर 1270/2 है, भूमि पर रेस्पोडेन्टस का कोई कब्जा काश्त नहीं होने , नामान्तकरण तस्दीक करते समय कब्जे की जांच नहीं किया जाना, तथा उक्त नामान्तकरण की अपीलार्थी को प्रथम जानकारी दिनाकं 30–04–2025 को होना उल्लेख किया गया।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पाडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के वारिसान व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के वारिसान व 3 की ओर से अपील का जवाब मय प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया। जो इस प्रकार है। उक्त उनवानी अपील का प्रार्थी नवनीत कुमार का रेस्पोडेन्ट की आराजी से किसी प्रकार से संबंध में सरोकार नहीं है। ना ही नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 17.09.1967 से अपीलार्थी हक को का कोई संबंध सरोकार नहीं है। क्यो कि अपीलार्थी के पूर्व खातेदार सिवायचक भूमि सरकारी के आवंटित खातेदार काश्तकार है। जिनसे हाजा अपीलार्थी ने दिनांक 09.11.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद किये इस प्रकार अपीलार्थी की किसी भी स्थिति में सन 1967 में हुये विक्रय पत्र एंव उनकी पालना में हुये नामान्तकरणों में किसी विधि के तथ्यों के सवालो की अपील नहीं उठा सकता है। क्यों कि अपीलार्थी की किसी भी प्रकार कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। वर्ष 1967 के विक्रय पत्र एंव अपीलाधीन नामान्तकरण के समय अपीलार्थी के पूर्व खातेदारों का अस्तित्व विधि के नजर में नहीं था कथित आराजी सिवायचक होकर राजस्थान जरिये जिला कलक्टर के हक व अधिकार में थी। हाजा अपील मे पूर्व खातेदार एंव जिला कलक्टर जयपुर पक्षकारान नहीं होने के कारण भी अपील सुनवाई किये जाने योग्य नहीं है। मिन रेस्पोडेन्ट की खातेदारी विक्रय पत्र में उल्लेखित सीमाओं एंव विक्रय पत्र में उल्लेखित रकबा एंव उसी दिन अन्य विक्रय पत्र में उल्लेखित दिशाओं को मध्य नजर रखते हुये ग्राम पंचायत किशनगढ रेनवाल ने विस्तृत जांच कर नामान्तकरण की पुश्त कर भूमि की वास्तविक स्थिति का उल्लेख कर नक्शा तैयार कर विधि सम्मत तरीके से नामान्तकरण तस्दीक के आदेश दिया जो वैध विक्रय पत्र की पालना में अधिकारों का अन्तरण सुनिश्चित करने वाला रहा है। जिस पर ऐतराज करने का कानूनी अधिकार अपीलार्थी के पास नहीं है। अपीलार्थी ने अपील के मद नम्बर 1 मे गलत एंव मनगंढत तथ्यों का उल्लेख किया है। जो वास्तविक स्थिति के विपरित होने के कारण अस्वीकार है। जबकि वास्तवित स्थिति यह है कि मिन उत्तरदाताओ के खसरा नम्बर 1450/1270 रकबा 3.098 है0 एंव अपीलार्थी के आराजी खसरा नम्बर 1434/1270 के मध्य खसरा नम्बर 1449/1270 आराजी भूमि है जो दीगर खातेदारो की है। अपीलार्थी की आराजी पर अतिक्रमण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्यों कि मिन उत्तरदाता ओ की अपीलार्थी में मिलती भी नहीं है। अपील के मद नम्बर 1 व 2 जिस प्रकार वर्णित किये गये है। कतई गलत व बेबुनियाद है। मिन उत्तरदाताओ के नामानतकरण संख्या 251 दिनांक 17.09.1967 से किसी प्रकार का नाजायज लाभ प्राप्त नही हुआ अपील की आधार संख्या 1 गलत है। तथ्यों के विपरीत है। जबकि अपीलाधीन नामानतकरण में विक्रय पत्र के अनुसार भूमि की सही पहचान सुनिश्चित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

कर, नामान्तकरण की पुश्त पर नक्शें का अंकन किया जाकर सही निर्णय किया गया जिसे वर्ष 1967 से लेकर हाजा विवाद से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई विवाद या संशय पैदा नही हुआ है। अपील का आधार संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत व बेबुनियाद है। अपीलांट का अपीलाधीन नामान्तकरण के वक्त या उसके बाद अपीलाधीन नामान्तकरण से किसी प्रकार से संबंध सरोकार नहीं रहा है। ना ही अपीलार्थी की आराजी को प्रभावित करने वाला ही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कोई कानून अधिकार नहीं रखता है। अपील आधार संख्या 3 में अपील के पूर्ववर्ती तथ्यों को दोहराव किया गया है, परन्तु अपने हितो के विपरीत किस प्रकार का विपरित प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण यह आधार कोई विधिक प्रभाव रखने वाला नहीं है। अपील के आधार संख्या 4 में नामानतकरण की विधिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। लेकिन नामान्तकरण प्रक्रिया जहा पक्षकारों के हितो के विपरीत नहीं हो तब तक उसे सही व उचित माना जाता है। यह अपील के आधार नम्बर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया ळै। कतई गलत होने से अस्वीकार है। अपीलाधीन नामानतकरण मे मौके की वास्तविक स्थिति को देखाकार नामान्तकरण की पुश्त पर खातेदारी का नक्शें का स्पष्ट उल्लेक किया गया है। अपील के आधार संख्या 6 में अपीलार्थी ने अपील का कारण दिनांक 30.04.2025 को प्रमाणित प्रतिलिपि लिये जाने को अन्दर मियाद होना बताया है। जब कि मिन उत्तरदातागण एंव अपीलार्थी के मध्य एक प्रकरण संख्या 06/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक व उनवानी प्रकरण ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य में सभी तथ्यों एवं दस्तावेजो को प्रस्तुत किया जाकर निर्णय दिनांक 11.10.2022 उपखण्ड अधिकारी महोदय साभरलेक के द्वारा किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी पक्षकार 13 के रूप में हाजिर अदालत होने के कारण रही है। दिनांक 11.10.22 के निर्णय की अपील नवनीत कुमार बनाम ओमप्रकाश वगै0 न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की उस अपील में भी सभी तथ्यों एंव नामान्तरकरणों विक्रय पत्रों विस्तृत विवेचन किया जाकर, दिनांक 11.07.2023 को अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने नवनीत कुमार बनाम ओमप्रकाश वगै0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के समक्ष अपील/ एल/ आर/ संख्या /4008 /2023/जिला/जयपुर के रूप में पेश की है जो विचाराधीन है, इस प्रकार अपीलार्थी ने झूठा वाद कारण व अपील को मियाद में लेने के कारण गलत उल्लेखित किया गया है। लिहाजा अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग है। अपील का आधार संख्या 7 गलत एंव बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। अपील का आधार संख्या 8 गलत व बेबुनियाद होने के कारण अस्वीकार है। मिन उत्तरदाता एंव अपीलार्थी की भूमि आपस में लगती हुई नहीं है। ना ही अतिक्रमण के आधार पर अपीलार्थी को कोई कानूनन हक प्राप्त होता है। तथा अपीलार्थी के द्वारा स्वंय की भूमि बिना कोई विक्रय पत्र के पंजीयन करवायें स्वर्णकार गृह निर्माण सहारी समिति को हस्तान्तरित कर दी गई है। इस प्रकार भूमि अनुसूचित जाति से गैर अनुसूचित जाति को हस्तान्तरित हो चुकी है। मौके पर स्वर्णकार गृह निर्माण सहमति द्वारा विनायक वाटिका कि0 रेनवाल के नाम से कॉलोनी काट कर उसके पट्टे , आवंटन पत्र भिन्न भिन्न लोगो को कब्जा सम्भला चुके है। तथा भूमि को गैर कृषि उपयोग में लेते हुये राज्य सरकार को हानि पहुचाने तथा विधिक प्रावधानों को नुकसान पहुचाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय श्रीमान के समक्ष नहीं आया है। उसके विपरित विधिक प्रकिया का दुरूपयोग कर मिन उत्तरदातागणो को दवाब में लेकर आराजीयात को बेचान करने का नाजायज दवाब बना रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील विधि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

विरूद्ध व बिना लोकस स्टेण्डाई, मियाद बाहर पेश होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 251 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया।

5. रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के वारिसान व 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को अस्वीकार किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 की ओर से मुख्य रूप से आपत्ति ली गई कि अपीलार्थी किसी भी तरह से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 251 से पीड़ित एवं व्यथित नहीं हैं, तथा उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई "लोकस स्टेण्डाई" नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण संख्या 251 की जानकारी वर्षो से रहने का कथन किया तथा कथन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के मध्य एक प्रकरण संख्या 06/2020 अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी साम्भर लेक, बउनवानी ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य विचाराधीन रहा हैं, जिसमें अपीलार्थी रेस्पाडेन्ट संख्या 13 के रूप में पक्षकार संयोजित था। उक्त प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 251, विक्रय पत्र दिनांक 01–08–1966, मौका कब्जा आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई हैं तथा उक्त समस्त तथ्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 11–10–2022 में वर्णित किये हुए हैं। अपीलार्थी उक्त प्रकरण में जरिये अधिवक्ता श्री यागे`श शुक्ला उपस्थित रहे हैं तथा अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 251 की बखुबी जानकारी रही हैं। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की दृष्टि से जानकारी सम्बन्धी गलत तथ्यों का उल्लेख किया गया हैं तथा अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत हो गई हैं। जहां तक विवादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त का प्रश्न हैं, रेस्पाडे`न्टस संख्या 2 व 3 का उक्त आराजी पर खरीद के समय से ही कब्जा काश्त हैं। उक्त कब्जा काश्त के सम्बन्ध में अपीलाधीन नामान्तकरण की पुश्त पर भी नक्शा अंकित हैं तथा तत्पश्चात् की खसरा गिरदावरियों में भी रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त दर्ज हैं। राजस्व अधिकारियों की टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट कमांक भ0 अ0/2019/5477 दिनांक 08–11–2019 में भी विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्टस का कदीमी कब्जा काश्त स्वीकार किया गया हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया कि ग्राम किशनगढ रेनवाल में 1070/2 खसरा नम्बर अस्तित्व में नहीं रहा हैं एक खसरा नम्बर 1070 हैं जो मात्र 01 बीघा 04 बिस्वा का ही हैं, इसलिये खसरा नम्बर 1070/2 में से भूमि का विक्रय किया जाना सम्भव ही नहीं था। विक्रय पत्र दिनांक 01–08–1966 में विक्रीत भूमि का आसा–पासा अंकित हैं, जो खसरा नम्बर 1270/2 के ही हैं। इसी आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया हैं तथा नामान्तकरण की पुश्त पर आराजी का नक्शा विक्रय पत्र अनुसार दर्ज किया हुआ हैं, इसलिये उक्त नामान्तकरण स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा भी कथन किया गया कि साबिक खसरा नम्बर 1270/2 में से दिनाकं 01–08–1966 को कुल चौदह विक्रय पत्र पंजीबद्ध हुए हैं तथा सभी के नामान्तकरण स्वीकृत किये गये हैं, अपीलार्थी द्वारा मात्र एक नामान्तकरण को चुनौती दी गई हैं, जो कि आधारहीन हैं। अधिवक्ता रेस्पाडेन्टे स द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं की भूमि गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये इकरारनामा हस्तान्तरित कर दी गई हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का सरासर उल्लंघन हैं। अपीलार्थी द्वारा यह अपील मात्र रेस्पोडेन्टस को हैरान परेशान करने एवं न्यायालय को गुमराह करने के उद्धेश्य से की गई हैं। अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी के वर्तमान खातेदारों को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत किशनगढ रेनवाल को पक्षकार संयोजित किया गया हैं, जबकि वर्तमान में किशनगढ रेनवाल ग्राम पंचायत न होकर नगर पालिका हैं। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन तथा काल्पनिक पक्षकार के संयोजन के दोष से दूषित होने से भी खारिज किये जाने योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के द्वारा उक्त कथन कर प्रस्तुत अपील को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के अनुतोष चाहा गया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजोत का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 251 ग्राम किशनगढ रेनवाल से किस तरह पीड़ित व व्यथित हैं, यह सिद्ध करने में अपीलार्थी पूर्णतया विफल रहा हैं। किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील मात्र पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती हैं, अन्यथा वह विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग मात्र हैं, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को कोई "लोकस स्टेण्डाई" प्राप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिस नामान्तकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं वह नामान्तकरण दिनांक 17–09–1967 को स्वीकार किया गया हैं। यह अपील लगभग 57 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई हैं। अपीलार्थी को प्रकरण नम्बर 6/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक मे बतौर पक्षकार होने से प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं है। जिससे की अपीलार्थी की अपील में डिले कंडोन किया जा सके। जिससे अपीलार्थी को 57 वर्ष बाद उपरोक्त उनवानी अपील के माध्यम से किसी प्रकार से कानूनी अधिकार मिल सके। अपीलार्थी द्वारा अपील को जानकारी के गलत तथ्यों पर उल्लेखित किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी मात्र न्यायालय को गुमराह करने की दृष्टि से उपरोक्त उनवानी अपील प्रस्तुत किया गया हैं तथा अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया हैं तथा असाधारण विलम्ब को माफ किये जाने के समुचित एवं सन्तोष जनक तथ्यों का पूर्णतया अभाव हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह सुस्पष्ट हैं कि रेस्पोडेन्टस विवादित आराजी पर अर्से दराज से काबिज काश्त हैं। इस प्रकार अपीलार्थी का यह कथन कि रेस्पोडेन्टस का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है, निराधार हैं। प्रस्तुत अपील पक्षकारों के कुसंयोजन एवं असंयोजन के दोष से भी ग्रसित हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में किये गये कथन प्रकरण में सत्य साबित होते हैं तथा अपीलार्थी द्वारा किये गये कथन असत्य व निराधार पाये जाते हैं तथा प्रस्तुत अपील विधिक बल रहित होने से सारहीन हैं। परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलार्थी को लोकस स्टेण्डाई नहीं होने असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत होने, पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन के दोष से ग्रसित होने तथा गुणावगुण रहित होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

क्रियात्मक आदेश

अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 251 ग्राम पंचायत रेनवाल फैसल दिनांक 17.09.1967 को यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनिता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल